

27/6/18

पकावती आज ईम्प कोर्ट जलज में पेश हुई।
पकावती का अवलोकन किया गया राज्य रिपोर्ट
जमावदी के अनुसार ग्राम गधज के ग्रामि ख. नं.
315, 316 बिला - 2 का रकबा 3.7900 है. कुवाड़ी
हवं प्रतिवादी खं. 1 लगा 3 रिपोर्ट्स स्वातेदार फं
रिपोर्ट है। उक्त वार्डित ग्रामि शामिली ग्रामि है
तथा ग्रामि का विधिवत विभाजन नहीं हो सखा
है। चारा 53 के प्रावधान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी
राजस्व रिपोर्ट में दर्ज दिहसा एवं कब्जा के अनुसार
ग्रामि का विभाजन करवाके के आधिकारी है।

आदेश

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा
प्राथमिक डिडी इस आशय की दी जाती है कि ग्राम
गधज की सरहद में स्थित ग्रामि ख. नं. 315, 316
बिला - 2 का कुल रकबा ^{का वादी व प्रतिवादी का 1 एका 3} 3.7900 है. के मध्य राज्य
रिपोर्ट में दर्ज दिहसा एवं कब्जा के अनुसार सस्ते
का प्रावधान स्वते हुये विधिवत विभाजन बिधे
गाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार
इकम्प्यूटवादी उमय पराकारम की उपस्थिति में
विभाजन प्रस्ताव तैयार करें तथा मय नम्बराई
के प्रातियों में न्यायालय हाजा में पेश करें। डिडी
पचि जारी हो।

पकावती कंसल अग्रर होकर नम्बर 6 कर
है तथा दाखिल दफतर है।

निर्णय आज दिनेस 27/6/18 की ईम्प कोर्ट
गधज में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (सु. 30)